लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./एनटीसी/ए/70/स्थानां./2019/ 363 भोपाल, दिनांक 20/08/19

प्रति,

(1) समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

(2) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :– स्थानांतरण नीति 2019–20 के अन्तर्गत जारी ऑनलाईन स्थानांतरण आदेश के तहत कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराये जाने बाबत्।

:: 00 ::

विभागीय स्थानांतरण नीति 2019–20 के अन्तर्गत जारी किये गये स्थानांतरण आदेश के तहत छोटे–छोटे कारण से कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण नही कराये जाने के संबंध में अधिक संख्या में स्थानांतरित शिक्षक संचालनालय में उपस्थित हो रहे है। यह स्थिति उचित नही है। स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं कार्यभार निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

1. स्थानांतरित शिक्षकों के एम शिक्षा मित्र से जारी आदेश की तिथि एवं कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण होने वाली स्क्रीन पर अंकित तिथि में अन्तर होने की स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाए।

2. स्थानांतरित शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण (डीएड/बीएड इत्यादि) प्राप्त कर रहे है तो ऐसे शिक्षकों को स्थानांतरण आदेश का पालन कराया जाए और स्थानांतरित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त प्रशिक्षण संस्था के लिए कार्यमुक्त किया जाए।

3. स्थानांतरित शिक्षक का मूल पद एवं विषय स्थानांतरित संस्था में रिक्त है तो उसे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। संस्था में पद विरुद्ध शिक्षक को अतिशेष के अन्तर्गत पदस्थापना सुनिश्चित किया जाए।

4. स्थानांतरित शिक्षक का पूर्ण नाम या उपनाम स्थानांतरण आदेश में अंकित नही होने की स्थिति में संबंधित के युनिक आई.डी. का मिलान कर एवं पोर्टल पर अंकित सही नाम होने की स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाए।

5. यदि किसी दिव्यांग शिक्षक का स्थानांतरण बगैर प्राथमिकता के आधार पर सामान्य रुप से हुआ है तो उससे दिव्यांगता के संबंध में बिना किसी पृच्छा के उसे कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाए। इसी प्रकार अन्य प्राथमिकताओं के प्रकरणों में भी कार्रवाई की जायेगी।

6. स्थानांतरित शिक्षक को आवंटित शाला में पद रिक्त नही होने की स्थिति में पोर्टल पर संबंधित के मूल पद/विषय के अनुसार रिक्त पदों में से सहमति के आधार पर जिला स्तर से पदस्थापना पहले की जायेगी, इसके बाद ही जिला स्तर से किये जाने वाले प्रशासनिक स्थानांतरण किये जा सकेगें।

7. स्थानांतरित शिक्षक का ऑनलाईन आवेदन करने के बाद संकुल परिवर्तन हुआ है तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी संकुल स्तर पर समन्वय स्थापित कर स्थानांतरित शिक्षक को कार्य मुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराया जाए।

अतः उल्लेखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./एनटीसी/ए/70/स्थानां./2019/364 भोपाल, दिनांक 20-08.19

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, विन्ध्यांचल–भवन, भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
6. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. विन्ध्यांचल–भवन, भोपाल।
7. श्री सुमनकांत जैन, प्रोग्रामर, स्थानीय की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।

20/8/19

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश